न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी गुरू प्रसाद तंवर) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./48/2024

1. चान्द पत्नी हरजी जाति दरोगा निवासी निमेड़ा तहसील भिनाय जिला केकड़ी

प्रार्थीयां

बनाम

1. कल्याण पुत्र राधाकिशन जाति दरोगा निवासी निमेड़ा तहसील भिनाय जिला केकड़ी
2. भैरू पुत्र हरदयाल जाति गुर्जर निवासी निमेड़ा तहसील भिनाय जिला केकड़ी
3. रमेशी पत्नी हरदयाल जाति गुर्जर निवासी निमेड़ा तहसील भिनाय जिला केकड़ी
4. देउ पत्नी हगामा जाति गुर्जर निवासी निमेड़ा तहसील भिनाय जिला केकड़ी
5. रतनी पत्नी बद्री जाति गुर्जर निवासी निमेड़ा तहसील भिनाय जिला केकड़ी
6. जीवण पुत्र श्योजी जाति कुम्हार निवासी निमेड़ा तहसील भिनाय जिला केकड़ी
7. मंजू पत्नी जीवण जाति कुम्हार निवासी निमेड़ा तहसील भिनाय जिला केकड़ी
8. दल्लाराम पुत्र हरलाल जाति कुम्हार निवासी निमेड़ा तहसील भिनाय जिला केकड़ी
9. रामेश्वर पुत्र धन्ना जाति छीपा निवासी निमेड़ा तहसील भिनाय जिला केकड़ी
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला केकड़ी

अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (केकड़ी) सत्यमेव जयते

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांकः–24.05.2024

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी– श्री त्रिलोक जांगिड़, श्री शिवकुमार जोशी
2. पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि **मौजा नीमेड़ा पटवार क्षेत्र कनेईखुर्द भू0अ0नि0 क्षेत्र कनेईकलां के खाता सं0 70 में दर्ज खसरा नं. 1660 रकबा 0.58 कुल किता 01 कुल रकबा 0.58 हैक्ट** जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 09 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 10 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।स

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गय अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 09 तक की नियमानुसार तामिली होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 09 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार द्वारा प्रकरण में राजहित प्रभावित नहीं होने के कथन करते हुए, प्रार्थना–पत्र साबित करने का भार प्रार्थी पर होना बताया। वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी

उपखण्ड अधिकारी

ग्राम नीमेड़ा के खाता संख्या 70 संवत 2073—2076(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन तथा बहस पत्रावली के मनन उपरान्त प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू—राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा नीमेड़ा पटवार क्षेत्र कनेईखुर्द भू0अ0नि0 क्षेत्र कनेईकलां के खाता सं0 70 में दर्ज खसरा नं. 1660 रकबा 0.58 कुल किता 01 कुल रकबा 0.58 हैक्ट** हेतू नायब तहसीलदार नागोला को 1000/— रू(एक हजार रू) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि सभी पड़ौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते भिनाय (केकड़ी)

(गुरू प्रसाद तंवर)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)